तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कविता आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर –107 / 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2021	(order text below)	

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थीगण वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील लूनकरनसर के ग्राम रोही महाजन के खाता संख्या 137 खसरा नम्बर 669 में 10.1200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 670 में 6.3200 हैक्टेयर कुल 16.4400 हैक्टेयर बरानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मुें विधिवत दर्ज हैं। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि ग्राम आबादी महाजन की गौचर/चारागाह से दक्षिण दिशा में चिपते ही स्थित हैं। प्रार्थीगण के खेत के उत्तर दिशा में सडक व खेत की बीच में गौचर/चारागाह भूमि के बीच में से रास्ते से वर्षो से आवागमन करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 669 व 670 के उत्तर दिशा में गौचर/चारागाह भूमि स्थित है प्रार्थीगण ने जब से उक्त भूमि खरीद की है तब से लेकर आज तक उक्त गौचर/चारागाह भूमि में से रास्ते से अपने खेत में आवागमन करते हैं। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते में आई भूमि के प्रतिफल के रूप में डी. एल.सी की दर से राशि व रास्ते में आई भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है अतः कटान रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव महाजन संवत् 2074–77 खसरा नम्बर 669 , 670 कुल तादादी 16.44 हैटेयर एव सिवायक नाकाबिल काश्त गोचर खसरा नम्बर 689 में तादादी 98.24 गैर मुमकिन चारागाह, आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रमाणित आधार प्रति एवं रास्ता स्वीकृत करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें आपसी रजामन्दी से सहमति दी गई हैं जो शामिल पत्रावली हैं।

राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।

हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी गांव महाजन संवत् 2074–77 खसरा नम्बर 669 , 670 कुल तादादी 16.44 हैटेयर एव सिवायक नाकाबिल काश्त गोचर खसरा नम्बर 689 में तादादी 98.24 गैर मुमकिन चारागाह, आंशिक नजरी नक्शा एवं पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता गोचर चारागाह भूमि में से चाहा गया है जिसमें वर्तमान में प्रार्थीगण आवागमन करते है । उक्त प्रकरण में शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(63)राज–9/2014 जयपुर दिनांक 29.09.2014 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार आवेदन करने पर गोचर भूमि पर राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता हैं। गोचर भूमि में रास्ता हेतु राजस्थान [illegible] अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 के अन्तर्गत प्रार्थना प[illegible]श [illegible] गया हैं। उक्त धारा के अन्तर्गत गोचर भूमि में कटान [illegible] आदेश नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त प्रार्थ[illegible] अस्वीकार किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:43:32 IST
Reason: SelfAttested